पत्रांक–17 / स्था0–10–02 / 2018, सा०प्र० 9092 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव / सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
मुख्यमंत्री सचिवालय
महाधिवक्ता, बिहार,
सभी आयोग के सचिव
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

पटना–15, दिनांक– 10-7-18

विषयः– **बिहार सचिवालय सेवा के नवप्रोन्नत प्रशाखा पदाधिकारियों को प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर योगदान देने हेतु विरमित करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना सं0–5363 दिनांक 19.04.2018 द्वारा कुल–134 नवप्रोन्नत प्रशाखा पदाधिकारियों को विभिन्न विभागों / कार्यालयों में पदस्थापित करते हुए उन्हें नवपदस्थापित विभाग / कार्यालय में योगदान देने हेतु एक पक्ष के अंदर विरमित करने का अनुरोध किया गया था। विभागीय अधिसूचना सं0–8667 दिनांक 29.06.2018 द्वारा 11 नवप्रोन्नत प्रशाखा पदाधिकारियों के नवपदस्थापित विभाग में परिवर्तन कर अन्यत्र विभाग / कार्यालय में पदस्थापन किया गया है। कतिपय नवप्रोन्नत प्रशाखा पदाधिकारियों द्वारा नवपदस्थापित विभाग / कार्यालय में योगदान देने हेतु विरमित करने का अनुरोध किया गया है।

अतः अनुरोध है कि नवप्रोन्नत प्रशाखा पदाधिकारियों को नवपदस्थापित विभाग / कार्यालय में योगदान देने हेतु दिनांक 12.07.2018 तक विरमित किया जाय, अन्यथा दिनांक 13.07.2018 से वे स्वतः विरमित समझे जायेंगे।

विश्वासभाजन,

10/7/18

(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

D:/Anish Document/ Anumodan/Anumodan hetu prarup3.docx [789]